निश्चित तिथिः 17.09.2020

नियम–62 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी (बंजार) द्वारा उठाया गया ध्यानाकर्षण प्रस्तावः–

"बन्जार विधान सभा के अन्तर्गत सैन्ज में विद्युत परियोजना में (Parbati Stage-II & III) द्वारा दो दशकों से प्रभावित–विस्थापित परिवारों को रोजगार व मुआवज़ा दिलाने बारे"

माननीय अध्यक्ष महोदय,

वस्तुस्थिति इस प्रकार हैः–

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुल्लू जिला की पार्वती नदी पर एन0एच0पी0सी0 लिमिटेड को तीन चरणों में पार्वती जल विद्युत परियोजना (2051 मै0वा0) को पार्वती चरण–I जल विद्युत परियोजना (750 मै0वा0), पार्वती चरण–II (800 मै0वा0) और पार्वती चरण–III (501 मै0वा0) में दिनांक 28.11.1998 के समझौते के अनुसार आवंटित किया था। पार्वती चरण–III जल विद्युत परियोजना (520 मेगावॉट) 2014 में पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है और पार्वती चरण–II (800 मै0वा0) अभी निर्माणाधीन है जिसकी 2021 तक पूर्ण होने की संभावना है। यद्यपि NHPC द्वारा पार्वती चरण–I को पर्यावरणीय कारणों से छोड़ दिया गया है।

इन परियोजनाओं के लिए पुनर्वास और पुनःव्यवस्थापन प्लान के प्रावधानों के अनुसार (R&R Plan), हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कई दौर की बैठकों के बाद लिए गये निर्णय एवं NHPC अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन द्वारा की गई बैठकों के एक लम्बे अभ्यास के बाद आपत्तियों और दावों, पुनः सत्यापन और प्रमाणीकरण प्रक्रिया के बाद परियोजना प्रभावित परिवारों की सूची तैयार की गई है जिसमें कुल पात्र परिवार 609 हैं।

जिला प्रशासन द्वारा बनाये गये Inclusion & Exclusion Criteria को सरकार द्वारा दिनांक 27.06.2015 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 27.06.2015 को हुई बैठक में तैयार किए गए मापदंड को

हिमाचल सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। समावेश और बहिष्करण मानदंडों के आवेदन के बाद, पात्र परिवारों की सूची तीन श्रेणियों के तहत तैयार की गई है:–

i. परियोजना प्रभावित परिवारों को रोजगार के बदले सेवानिवृति तक मुआवजा प्रदान करना।
ii. 2000 दिनों का परियोजना प्रभावितों को मुआवज़ा देना।
iii. 1000 दिनों का परियोजना प्रभावितों को मुआवज़ा देना।

इस मुद्दे पर हाल ही में माननीय विधायक, बंजार के अनुरोध पर प्रभावितों के मुद्दे पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में सचिवालय में दिनांक 21.03.2020 को बैठक की गई जिसमें एन0एच0पी0सी0 एवं जिलाधीश के साथ वीडियो सम्मेलन (Video Conference) के आधार पर चर्चा के दौरान माननीय विधायक, बंजार ने यह सूचित किया कि अनुबंध के अनुसार एन0एच0पी0सी0 पार्वती की जल विद्युत परियोजना चरण–II एवं III के द्वारा पुनर्वास और पुनःव्यवस्थापन योजना (R&R Plan) के अनुसार 98 परिवारों को भूमि अधिग्रहण होने के कारण रोजगार उपलब्ध करवाया था। लेकिन एन0एच0पी0सी0 ने मात्र 33 लोगों को ही स्थायी रोजगार प्रदान किया।

उपरोक्त तीनों श्रेणियों में दर्शाए गए मुआवज़ा पैकेजों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव (विद्युत) हिमाचल प्रदेश सरकार ने एन0एच0पी0सी0 प्रतिनिधियों से यह बताने का अनुरोध किया कि कितना मुआवज़ा परियोजना प्रभावित परिवारों को दिया जाएगा। इस सन्दर्भ में एन0एच0पी0सी0 प्रतिनिधि द्वारा यह सूचित किया गया कि उपरोक्त दिए गए पैकेजों की प्रयोजता जुलाई 2015 से शुरु होगी जिसमें प्रथम श्रेणी में आने वाले परियोजना प्रभावित परिवारों को सेवानिवृति तक हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना के तहत न्यूनतम वेतन दिया जाएगा और जो परियोजना प्रभावित परिवार द्वितीय एवं तृतीय मुआवज़ों की श्रेणी में आते हैं उनका मुआवज़ा लगभग ₹ 4.7 लाख व लगभग ₹ 2.5 लाख बनता है जिसका बकाया (Arrear) जुलाई, 2015 से जनवरी, 2020

तक परियोजना प्रभावित परिवारों को दिया जाएगा तथा बाकि पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना के तहत मासिक आधार पर वेतन के रुप मे दिया जाएगा जब तक कि 2000 एवं 1000 दिन पूरे नहीं हो जाते।

उपरोक्त विषय में माननीय विधायक, बंजार ने यह सूचित किया कि एन0एच0पी0सी0 द्वारा तैयार किए गए मुआवज़ा पैकेजों से परियोजना प्रभावित लोग खुश नहीं हैं और अधिकतम मुआवज़े की मांग कर रहें हैं। इस सन्दर्भ में एन0एच0पी0सी0 प्रतिनिधि द्वारा यह सूचित किया गया कि उपरोक्त तैयार किए गए मुआवज़ा पैकेजों को अन्तिम रुप दिनांक 27.06.2015 में मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिया जा चुका है। इस बारे में माननीय विधायक ने यह सुझाव दिया कि जिन लोगों की आयु 50 वर्ष से ऊपर हो चुकी है उन लोगों को अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को मुआवज़े को लेने के लिए नामांकन करने का अधिकार दिया जाए। इसके अलावा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिलाधीश कुल्लू, परियोजना प्रबंधक के साथ मिल कर लोगों द्वारा की गई अधिकतम वेतन की मांग का अन्वेषण करें।

पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण–II के प्रतिनिधियों द्वारा यह सूचित किया है कि जिन लोगों की आयु 50 वर्ष या उससे अधिक हो गई है उनके अधिकृत एक सदस्य को मुआवजा दिया जा रहा है तथा जिलाधीश कुल्लू ने सूचित किया है कि उन्होंने पार्वती परियोजना चरण–I, II तथा III के पदाधिकारियों के साथ दिनांक 05.09.2020 को बैठक की। जिसमें दिनांक 27.06.2015 की बैठक में अंतिम किये गए पैकेज पर बढ़ोतरी की सम्भावना को तलाशने पर चर्चा की। जो कि निम्न प्रकार हैः–

I. मुआवज़े की दरों में बढ़ोतरी पर एन0एच0पी0सी0 लिमिटेड ने सूचित किया है कि वे मुआवजे की राशि की गणना पहले ही राज्य/केन्द्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम दिहाड़ी (जो भी अधिक हो) के आधार पर कर रहे हैं। अतः इसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी की संभावना नहीं है।

II. माननीय विधायक बंजार द्वारा दिनांक 21.03.2020 की बैठक में सुझाव दिया था कि ''जो लोग 50 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के हो गये हों, एन0एच0पी0सी0 लिमिटेड उन परिवारों के किसी भी एक अधिकृत सदस्य को मुआवजा प्रदान करे।''

उपरोक्त के सन्दर्भ में एन0एच0पी0सी0 लिमिटेड द्वारा सूचित किया है कि लाइवलीहुड असिसटेंस स्कीम (Livelihood Assistance Scheme) के तहत परिवार के किसी भी सदस्य का नामांकन करने को कोई प्रावधान नहीं है और यदि नामांकन सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस मृतक का मुआवज़ा बंद नहीं होगा मृतक के परिवार को शेष राशि दी जाएगी। एन0एच0पी0सी0 लिमिटेड ने यह भी सूचित किया है कि जिन लोगों की आयु 50 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है उनमे से किसी भी सदस्य तथा उनमें से परिवार के दूसरे सदस्य को नामांकन के लिए सम्पर्क नहीं किया है।

बैठक मे हुई चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया कि, परियोजना से प्रभावित व्यक्ति, जो रोजगार पाने का पात्र है, को अपने स्थान पर अपने ही परिवार के किसी एक व्यक्ति जोकि उसका कानूनी उत्तराधिकारी हो, को रोजगार पाने के लिए नामित करने का अधिकार होना चाहिए। इस सम्बन्ध में एन0एच0पी0सी0 के प्रतिनिधियों/अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस प्रस्ताव को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टरस को आगामी उचित कार्यवाही हेतु भेजें।

इसके अतिरिक्त एन0एच0पी0सी0 के प्रतिनिधियों/अधिकारियों को निर्देश दिए गये है कि वह परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को एन0एच0पी0सी0 उपरोक्त मुआवजा पैकेजों की जानकारी देने के लिए जागरूकता शिविर लगाए।

एन0एच0पी0सी0 चरण–II और चरण–III से प्रभावित परिवारों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

Sr. No.	Packages	No. of PAFs eligible for employment			Parbati Stage (PS)-II HEP (800 MW)		Parbati Stage(PS)-III HEP (520 MW)		Total Availed	Remaining
		PS-II	PS-III	Total	Applied	Availed	Applied	Availed		
1.	Compensation in lieu of Employment till age of superannuation	19	46	65	2	2	1	1	3	62
2.	Compensation for 2000 days	5	1	6	1	1	0	0	1	5
3.	Compensation for 1000 days	346	159	505	66	66	2	5	71	434
Total		**370**	**206**	**576**	**69**	**69**	**3**	**6**	**75**	**501**

उपरोक्त दी गई जानकारी के अनुसार कुल 609 पात्र परिवारों में से 33 लोगों को स्थाई रोजगार उपलब्ध करवा दिया गया है तथा 75 परिवारों ने निर्धारित पैकेजों का लाभ प्राप्त कर लिया है और शेष 501 परिवारों में से केवल 71 परिवारों ने ही इस लाभ को प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जबकि 430 परिवार अभी भी उक्त योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के लिए आगे नहीं आ रहें हैं।

उपरोक्त जानकारी के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने उपरोक्त मामले को गम्भीरता से लिया है और इस मामले को समय–समय पर परियेाजना अधिकारियों व सम्बन्धित जिलाधीश से प्रभावितों के हित में समुचित समाधान हेतु उठाया गया है। सरकार इसके उचित समाधान के लिए प्रयासरत है परन्तु बहुत से प्रभावित परिवारों द्वारा आवेदन न करने के कारण उक्त योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है।

****